

**राजस्थान सरकार**  
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग**

क्रमांक:-प.1(1)चिस्वा/2/2011

दिनांक : 30.12.2011

**-: आदेश :-**

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम-1963 के संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 15600-39100 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए-11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपसे 16800/- प्रतिमाह एवं 13200/- चिकित्सा परिचर्या भत्ता (कुल रूपए 30,000/-) की दर पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष के प्रोबेशन काल जिसमें एक वर्ष की इन्टरनशिप अवधि सम्मिलित होगी, पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है। इन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों के जिला कलेक्टर के कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी:-

क्र. सं.	नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी का नाम	पदस्थापित जिला	जन्म तिथि	श्रेणी	महिला/पुरुष
1.	DR. LAKHAN SINGH	BHARATPUR	17-09-1987	OBC	MALE
2.	DR. ANEES QURESHI	JHUNJHUNU	30-12-1982	OBC	MALE
3.	DR. PRINCE SAIN	UDAIPUR	26-10-1985	OBC	MALE
4.	DR. DINESH	JHUNJHUNU	09-03-1987	OBC	MALE
5.	DR. RAHUL PANCHAL	DUNGARPUR	21-04-1985	GEN	MALE
6.	DR. JASRAJ CHHIPA	PALI	02-06-1978	OBC	MALE
7.	DR. SUNIL KUMAR	TONK	14-09-1984	OBC	MALE
8.	DR. SUMER SINGH CHAHAR	JAIPUR	08-01-1969	OBC	MALE
9.	DR. RAMESH KUMAR	BARMER	14-09-1984	OBC	MALE
10.	DR. VIRENDAR SINGH RAWAT	BHARATPUR	20-06-1985	OBC	MALE
11.	DR. SUNIL DHAKA	JHUNJHUNU	23-08-1980	OBC	MALE
12.	DR. YOGENDRA	SRI GANGANGAR	06-10-1981	OBC	MALE
13.	DR. MONIKA CHOUDHARY	BIKANER	19-04-1985	OBC	FEMALE
14.	DR. OM PRAKASH SAINI	SAWAI MADHOPUR	09-07-1981	OBC	MALE
15.	DR. PRASHANT BENIWAL	JODHPUR	12-08-1987	OBC	MALE
16.	DR. KISHORI LAL	JAIPUR	09-10-1983	OBC	MALE
17.	DR. PRABHU DAYAL	HANUMANGARH	05-07-1983	OBC	MALE
18.	DR. DEVENDRA KUMAR SAHU	BUNDI	18-02-1980	OBC	MALE
19.	DR. SATVEER SINGH	HANUMANGARH	01-01-1984	OBC	MALE
20.	DR. GHAUSIA SULTANA FARHA	JAIPUR	20-12-1985	OBC	FEMALE
21.	DR. DHARMVIR SINGH	BHARATPUR	10-11-1983	OBC	MALE
22.	DR. GAJENDRA SINGH	KARALI	05-09-1983	OBC	MALE

**" These appointments are subject to the decisions of S.B. Civil Writ Petition Nos 15211/2011"**

**इन्हें कार्यग्रहण करने के समय से एक माह में अपने गृह जिले के संबंधित पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।**

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

6

चिकित्सक को नियुक्ति तिथि से कम से कम 03 वर्ष की नियमित/निरन्तर सेवा करनी अनिवार्य है अन्यथा किन्हीं अपरिहार्य कारणवश सेवा काल पूर्ण नहीं करने पर जितना वेतन भुगतान किया गया है उसे राजकोष में जमा करवाने होंगे जिसके लिये चिकित्सक को कार्यग्रहण की एक माह के अन्दर-अन्दर संबंधित नियंत्रण अधिकारी को रूपए 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर बंधक पत्र भरना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही संपादित की जायेगी।

**उक्त नवनियुक्त चिकित्सकों को प्रथम पदोन्नति (टाईम स्केल पदोन्नति के अन्तर्गत) संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर छः वर्ष में देय होगी।**

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन है।


दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से अधिकतम तीन दिवस अर्थात् दिनांक 04.01.2012 तक उनके नाम के सम्मुख जिले के जिला कलेक्टर के कार्यालय में कार्यग्रहण करना होगा।

जो चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपने आप को कार्यमुक्त समझते हुए उक्त आदेशानुसार कार्यग्रहण करेंगे।


इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।

आज्ञा से,

  
(सुनील कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
- 2) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3) निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 4) उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
- 5) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 6) समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त चिकित्सकों को जिले में आवश्यकतानुसार पदस्थापित करें।
- 7) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 8) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 9) रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 10) प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज संबंधित को भेजकर लेख है कि पीजी अध्ययनरत अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय संबंधित गृह जिले के पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से प्राप्त करें एवं संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट, प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 11) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 12) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 13) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित
- 14) समस्त जिला कलेक्टरों को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने के समय से एक माह के अन्दर संबंधित गृह जिले के पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन/संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवावें।
- 15) संबंधित चिकित्सक को विभाग की वेबसाईट <http://www.rajswasthya.nic.in> के माध्यम से सूचनार्थ।
- 16) आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।

  
शासन उप सचिव